

24/10/21

बहुपक्षीय न्यायिक प्रणाली (सामग्री)

2/10/21

वकील उद्योगपक्ष (आदिवासी) वकील
गैरनामक न निर्देश दिए कि उद्योगपक्ष
को पावें करने हुए प्रथम 212 RFR
स्वीकार किया जावे। वकील साधना
न सहमत है।

प्रमाणों का अवलोकन किया,
वह उद्योगपक्ष का जमाना किया,
उद्योगपक्ष के जमाने सीमांकन विवाद है
अतः उद्योगपक्ष की सहमति के आधार
पर एक वाद को बदलना को रोकने
के लिए उद्योगपक्ष को पावें किया
जाका इतिहास सहमत है।

अतः आदेश है कि साधना एवं
गैरनामक को अदालत में निवेदन है
पावें किया जाता है कि वह विवाह
आशपी तमाम नमूदा 71 वाके जमाने विपरीत
नहसील मजिस्ट्रेट जिला एंगोला के आगे
को अध्याक्षिति मूलवाद के विचार तक
आगे न जाने प्रमाण स्वीकार किया जाता है।
प्रमाणों के समलक्षण होने सिलान मूलवाद
है।

2